

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI आवेदन (वायु प्रदूषण संबंधी)

शुल्क ₹10

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

ग्राम पंचायत / नगर पालिका परिषद् / नगर निगम / महानगर पालिका

ग्राम / शहर _____ जिला _____ राज्य _____

विषय: निकाय क्षेत्र में वायु प्रदूषण एवं वायु गुणवत्ता से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों/रिकॉर्ड के अनुसार विगत 01 वर्ष की सूचनाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध करता / करती हूँ—

1. निकाय क्षेत्र में **वायु गुणवत्ता परीक्षण (AQI) की रिपोर्टों** की प्रमाणित प्रतियाँ, जिनमें PM2.5, PM10, SO₂, NO₂ आदि प्रमुख प्रदूषकों का विवरण हो।
2. उपरोक्त रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट जानकारी कि संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता **सुरक्षित सीमा के भीतर है या हानिकारक**, तथा इसका आधार व मानक (CPCB/WHO)।
3. निकाय क्षेत्र में स्थापित **वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन** (मैनुअल/ऑटोमेटिक) की संख्या, उनका स्थान तथा कार्यशील/अकार्यशील स्थिति।
4. वायु प्रदूषण से संबंधित प्राप्त **जन शिकायतों की संख्या** एवं लंबित शिकायतों की संख्या।
5. अगर वायु की गुणवत्ता हानिकारक रही है तो नियंत्रण हेतु किए गए प्रमुख उपायों का विवरण, जैसे नोटिस, सूचना विज्ञप्ति एवं जाग्रति शिविर आदि की जानकारी और प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ।

उपरोक्त सूचनाएं धारा 7 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो, तो इसका कारण बताएं। यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित हो, तो धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित करें।

आवेदन शुल्क: ₹10 (भारतीय पोस्टल ऑर्डर / कैश / ऑनलाइन के माध्यम से संलग्न)।

सूचना प्राप्ति का माध्यम: डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर (जैसा कार्यालय उचित समझे)।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____

HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

RTI Application under the Right to Information Act, 2005
(Regarding Air Pollution and Air Quality)

Fees ₹10

To,

Public Information Officer (PIO)

Gram Panchayat / Municipal Council / Municipal Corporation / Metropolitan Municipal Corporation

Village / City _____ District _____ State _____

Subject: Application for information regarding air pollution and air quality within the jurisdiction of the local body.

Sir/Madam,

Under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005, I request that the following information for the last one year be provided based on available records/documents:

1. Certified copies of air quality monitoring (AQI) reports conducted within the jurisdiction of the local body, including details of major pollutants such as PM2.5, PM10, SO₂, NO₂, etc.
2. Based on the above reports, clear information whether the air quality in the area is within safe limits or harmful, along with the supporting standards (CPCB/WHO).
3. Number, location, and functional status (manual/automatic) of air quality monitoring stations established in the area.
4. Number of public complaints received regarding air pollution and the number of complaints still pending.
5. If the air quality has been found harmful, provide details of the major control measures taken, such as notices, public information releases, awareness camps, etc., along with certified copies.

The above information may kindly be provided within 30 days under Section 7 of the RTI Act, 2005. If any information is not available, the reason should be stated. If any information pertains to another department, kindly transfer it under Section 6(3) of the RTI Act.

Application Fee: ₹10 (attached via Indian Postal Order / cash / online).

Mode of Receiving Information: By post or in person (as deemed appropriate by the office).

Place: _____

Date: _____

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____

HRPC Designation: _____

HRPC Cell Name: _____

Address: _____

Mobile Number: _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI आवेदन
(स्वच्छ पेयजल संबंधी)

शुल्क ₹10

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

ग्राम पंचायत / नगर पालिका परिषद् / नगर निगम / महानगर पालिका

ग्राम / शहर _____ जिला _____ राज्य _____

विषय: निकाय क्षेत्र में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता एवं उससे संबंधित जानकारी देने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों/रिकॉर्ड के अनुसार विगत 01 वर्ष की सूचनाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध करता / करती हूँ—

1. निकाय क्षेत्र में किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां (मासिक/तिमाही आधार पर), जिसमें रासायनिक, बैक्टीरियल एवं भौतिक पैरामीटर (जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, टीडीएस, कोलीफॉर्म आदि) का विवरण हो।
2. उपरोक्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, क्या दिया जा रहा पेयजल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या WHO के मानकों के अनुसार सुरक्षित है अथवा हानिकारक है, इसकी स्पष्ट जानकारी एवं आधार।
3. जल शोधन संयंत्रों (Water Treatment Plants) की संख्या, क्षमता, कार्यक्षमता एवं विगत वर्ष में की गई मरम्मत/रखरखाव की रिपोर्ट।
4. विगत एक वर्ष में पेयजल गुणवत्ता से संबंधित प्राप्त जन शिकायतों की संख्या एवं लंबित शिकायतों की संख्या।
5. पेयजल प्रदाय हेतु उपयोग किए जा रहे पाइपलाइन नेटवर्क की स्थिति, लीकेज की रिपोर्ट एवं मरम्मत कार्य का विवरण।

उपरोक्त सूचनाएं धारा 7 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो, तो इसका कारण बताएं। यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित हो, तो धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित करें।

आवेदन शुल्क: ₹10 (भारतीय पोस्टल ऑर्डर / कैश / ऑनलाइन के माध्यम से संलग्न)।

सूचना प्राप्ति का माध्यम: डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर (जैसा कार्यालय उचित समझे)।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____

HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

RTI Application under the Right to Information Act, 2005
(Regarding Safe Drinking Water)

Fees ₹10

To,

Public Information Officer (PIO)

Gram Panchayat / Municipal Council / Municipal Corporation / Metropolitan Municipal Corporation

Village / City _____ District _____ State _____

Subject: Application for information regarding the quality of drinking water supplied within the jurisdiction of the local body.

Sir/Madam,

Under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005, I request that the following information for the last one year may be provided on the basis of available records/documents:

1. Certified copies of drinking water quality testing reports conducted within the jurisdiction of the local body (on monthly/quarterly basis), containing details of chemical, bacteriological and physical parameters (such as arsenic, fluoride, nitrate, TDS, coliform, etc.).
2. Based on the above test reports, clear information and basis as to whether the supplied drinking water is safe or harmful as per the standards of the Bureau of Indian Standards (BIS) or WHO.
3. Number, capacity, functionality and reports of repair/maintenance of Water Treatment Plants during the last one year.
4. Number of public complaints received during the last one year related to drinking water quality, and the number of complaints still pending.
5. Status of the pipeline network used for drinking water supply, reports of leakage, and details of repair works carried out.

The above information may kindly be provided within 30 days under Section 7 of the RTI Act, 2005. If any information is not available, please state the reasons. If any part of the information pertains to another department, kindly transfer it under Section 6(3) of the Act.

Application fee: ₹10 (attached through Indian Postal Order / cash / online mode).

Mode of receiving information: By post or in person (as deemed appropriate by the office).

Place: _____

Date: _____

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____

HRPC Designation: _____

Name of HRPC Cell: _____

Address: _____

Mobile Number: _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI आवेदन (आबकारी विभाग)

शुल्क ₹10

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

आबकारी कार्यालय _____ जिला _____ प्रदेश _____

विषय: शराब दुकानों पर MRP से अधिक वसूली, नियमों के पालन एवं शिकायत निवारण संबंधी सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों/रिकॉर्ड के अनुसार सूचनाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध करता / करती हूँ—

1. MRP से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने की स्थिति में लागू होने वाले संबंधित आबकारी नियम, अधिनियम, अधिसूचनाएँ अथवा शासन/विभागीय आदेश कौन-कौन से हैं? कृपया उनकी **प्रमाणित प्रतियां** उपलब्ध कराई जाएँ।
2. MRP से अधिक मूल्य वसूले जाने पर संबंधित दुकानदार/लाइसेंसधारी के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही (जैसे—आर्थिक दंड, लाइसेंस निलंबन, लाइसेंस निरस्तीकरण आदि) का **विस्तृत विवरण** उपलब्ध कराया जाए।
3. क्या आबकारी नियमों के अंतर्गत शराब दुकानों पर बेचे जाने वाले सभी ब्रांडों की MRP सूची को स्पष्ट, पढ़ने योग्य तथा दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना **अनिवार्य है?** यदि हाँ, तो संबंधित आदेश/नियम की **सत्यापित प्रति** उपलब्ध कराई जाए।
4. क्या शराब दुकानों पर भ्रष्टाचार शिकायत हेल्पलाइन नंबर अथवा सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य करने संबंधी कोई निर्देश जारी किए गए हैं? यदि ऐसे निर्देश जारी **नहीं** किए गए हैं या उनका पालन **नहीं** हो रहा है, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित/नियत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
5. यदि कोई शराब दुकानदार MRP से अधिक मूल्य पर शराब बेचता है, तो क्या आम नागरिक संबंधित थाना/पुलिस स्टेशन में प्रकरण दर्ज करा सकता है? यदि हाँ, तो किन-किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाता है एवं अधिकतम दंड (जुर्माना/कारावास/अन्य प्रावधान) क्या हैं इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त सूचनाएँ मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की **धारा 7 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर** उपलब्ध कराई जाएँ। यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो, तो उसका स्पष्ट कारण बताया जाए। यदि सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित हो, तो धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित की जाए।

आवेदन शुल्क: ₹10 (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/नकद/ऑनलाइन) संलग्न।

सूचना प्राप्ति का माध्यम: डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर।

स्थान: _____ दिनांक: _____

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____

HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

RTI Application under the Right to Information Act, 2005
(Excise Department)

Fees ₹10

To,

Public Information Officer (PIO)

Excise Office _____ District _____ State _____

Subject: Application for providing information regarding overcharging above MRP at liquor shops, compliance with rules, and grievance redressal mechanisms.

Sir/Madam,

Under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005, I respectfully request that the following information be provided as per the available records/documents:

1. Which excise rules, Acts, notifications, or government/departmental orders are applicable in cases where liquor is sold at a price higher than the Maximum Retail Price (MRP)? Kindly provide certified copies of the relevant rules/orders.
2. Please provide detailed information regarding the punitive action taken by the Excise Department against shopkeepers/license holders who charge more than the MRP (such as monetary penalty, suspension of license, cancellation of license, or any other statutory punishment).
3. Under the excise rules, is it mandatory for liquor shops to display the MRP list of all brands being sold at a clear, readable, and prominently visible place? If yes, kindly provide an authenticated copy of the relevant order/rule.
4. Have any instructions been issued making it mandatory to display corruption-complaint helpline numbers or information boards at liquor shops? If such instructions have not been issued or are not being followed, please provide details of the proposed or prescribed action against the responsible officers.
5. If a liquor shop sells liquor at a price higher than the MRP, does a common citizen have the legal right to register a case at the concerned police station? If yes, please clearly provide the legal sections under which the offence is registered, and the maximum punishment prescribed (fine/imprisonment/other legal provisions).

The above information may kindly be provided to me within 30 days under Section 7 of the Right to Information Act, 2005. If any information is not available, the reasons for the same may be stated. If the information pertains to any other department, it may kindly be transferred under Section 6(3) of the Act.

Application fee: ₹10 enclosed (Indian Postal Order/Cash/Online).

Mode of receiving information: By post or in person (as deemed appropriate by the office).

Place: _____ Date: _____

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____

HRPC Designation: _____

HRPC Cell Name: _____

Address: _____

Mobile Number: _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन
(आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)

प्रति,
लोक सूचना अधिकारी (PIO)
कार्यालय – आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय,
पता: _____

दिनांक _____

शुल्क ₹10

विषय : ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर उनके पति/रिश्तेदार अथवा अन्य अनिर्वाचित व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जाने, "सरपंच प्रतिनिधि" की वैधानिक स्थिति एवं उससे संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु।

महोदय/महोदया,
मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ—

1. क्या पंचायती राज अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, परिपत्र, शासनादेश या दिशा-निर्देश में निर्वाचित महिला सरपंच के पति, पुत्र, रिश्तेदार अथवा किसी अन्य अनिर्वाचित व्यक्ति को ग्राम पंचायत के कार्य संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो संबंधित वैधानिक प्रावधान/नियम/धारा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
2. यदि कोई अनिर्वाचित व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रशासनिक, वित्तीय या विकास कार्यों में हस्तक्षेप करता है या स्वयं को सरपंच के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध क्या वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है? संबंधित नियम/आदेश/धारा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
3. क्या ऐसे मामलों में संबंधित सरपंच के विरुद्ध चेतावनी, कारण बताओ नोटिस, निलंबन अथवा पद से हटाने का कोई प्रावधान अधिनियम या नियमों में निहित है? कृपया स्पष्ट सूचना एवं संबंधित प्रावधानों की प्रति प्रदान की जाए।
4. क्या "सरपंच प्रतिनिधि" नामक किसी पद/व्यवस्था की मान्यता पंचायती राज अधिनियम अथवा किसी अन्य नियम/परिपत्र के अंतर्गत है? यदि हाँ, तो उसकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए संबंधित आदेश/नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
5. क्या कोई निर्वाचित सरपंच अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर पंचायत कार्य कराने के लिए अधिकृत कर सकता/सकती है? यदि हाँ, तो उसके लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया एवं सीमा की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए।
6. क्या किसी महिला सरपंच का पति या रिश्तेदार सरपंच की कुर्सी पर बैठ सकता है, बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, पंचायत संबंधी निर्णय/आदेश जारी कर सकता है? यदि नहीं, तो ऐसा करने पर क्या दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है, कृपया स्पष्ट किया जाए।
7. क्या कोई ऐसा वाहन (मोटरसाइकिल/कार आदि) जो सरपंच के नाम पर पंजीकृत नहीं है, उस पर "सरपंच" लिखवाना या सरपंच की नेम-प्लेट/पहचान का उपयोग करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो संबंधित दंडात्मक प्रावधान की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
8. यदि कोई व्यक्ति जो सरपंच नहीं है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य माध्यमों से स्वयं को "सरपंच" या "सरपंच प्रतिनिधि" दर्शाकर नागरिकों में भ्रम उत्पन्न करता है, तो उसके विरुद्ध क्या वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है? संबंधित नियम/कानून की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए।
9. क्या कोई व्यक्ति जो विधिवत निर्वाचित सरपंच है और उसका वाहन उसके नाम पर पंजीकृत है, अपने वाहन पर "सरपंच" लिखवा सकता है? यदि इसकी अनुमति नहीं है, तो उसके उल्लंघन पर लागू दंडात्मक प्रावधान स्पष्ट किए जाएँ।

मैं आवेदन शुल्क ₹10/- नियमानुसार संलग्न कर रहा/रही हूँ। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अगर मांगी गई सूचनाएं आपके कार्यालय से सम्बंधित नहीं है तो कृपया यह आवेदन सम्बंधित कार्यालय / विभाग को प्रेषित किया जाए।

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____ HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

Application under the Right to Information Act, 2005
(Director, Directorate of Panchayati Raj)

To,
The Public Information Officer (PIO)
Office of the Director, Directorate of Panchayati Raj,
Address: _____

Date: _____

Fees ₹10

Subject: Seeking information regarding the performance of functions in Gram Panchayats by the husband/relatives or other unelected persons in place of elected women Sarpanch, the legal status of "Sarpanch Representative", and related penal provisions.

Sir/Madam,

I seek the following information under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005:

1. Whether under the Panchayati Raj Act, or any rules, circulars, government orders or guidelines framed thereunder, the husband, son, relative, or any other unelected person of an elected woman Sarpanch is permitted to perform the functions of the Gram Panchayat?
If yes, kindly provide a certified copy of the relevant statutory provision/rule/section.
2. If any unelected person interferes in the administrative, financial or developmental functions of a Gram Panchayat or represents himself/herself as the Sarpanch, what legal/penal action is provided against such person?
Kindly provide a certified copy of the relevant rule/order/section.
3. Whether there is any provision under the Act or rules for issuing a warning, show cause notice, suspension or removal from office of the concerned Sarpanch in such cases?
Kindly provide clear information along with certified copies of the relevant provisions.
4. Whether any post/arrangement known as "Sarpanch Representative" is recognized under the Panchayati Raj Act or under any other rule/circular?
If yes, kindly clarify its legal status and provide certified copies of the relevant order/rule.
5. Whether an elected Sarpanch is authorized to appoint any person as a representative to get Panchayat functions performed on his/her behalf?
If yes, kindly provide certified copies of the prescribed legal procedure and limitations in this regard.
6. Whether the husband or relative of a woman Sarpanch can sit on the Sarpanch's chair, preside over meetings, or issue Panchayat-related decisions/orders?
If not, kindly clarify the penal action provided for such acts.
7. Whether writing "Sarpanch" or using a Sarpanch nameplate/identity on a vehicle (motorcycle/car etc.) that is not registered in the name of the Sarpanch amounts to an offence under law?
If yes, kindly provide details of the relevant penal provisions.
8. If a person who is not a Sarpanch projects himself/herself as "Sarpanch" or "Sarpanch Representative" through social media accounts, WhatsApp groups or other means, thereby creating confusion among citizens, what legal/penal action is provided against such person?
Kindly provide certified copies of the relevant rules/laws.
9. Whether a person who is duly elected as Sarpanch and whose vehicle is registered in his/her own name is permitted to write "Sarpanch" on the said vehicle?
If such permission is not granted, kindly clarify the penal provisions applicable in case of violation.

I am enclosing the prescribed application fee of ₹10/- as per rules. Kindly provide the requested information within the time limit prescribed under Section 7(1) of the Right to Information Act, 2005. If the information sought does not pertain to your office, kindly transfer this application to the concerned office/department.

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____ HRPC Designation: _____

HRPC Cell Name: _____

Address: _____

Mobile Number: _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI आवेदन

(चिकित्सालय सुविधाओं की जानकारी हेतु)

शुल्क ₹10

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

अस्पताल का नाम _____ जिला _____ राज्य _____

विषय: चिकित्सालय में प्रसूति संबंधी मामलों, मातृ एवं शिशु मृत्यु, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस तथा अग्निशमन एवं मशीनरी फिटनेस संबंधी सूचना प्रदान किए जाने हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों/रिकॉर्ड के अनुसार विगत 01 वर्ष की सूचनाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध करता / करती हूँ—

1. ऐसे प्रसव मामलों की संख्या बताई जाए जिनमें प्रसूता को मशीनरी, डॉक्टर अथवा आवश्यक दवाइयों के अभाव के कारण अन्य अस्पताल में रेफर/ट्रांसफर किया गया।
2. विगत एक वर्ष में प्रसूता महिलाओं की मृत्यु एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु के कुल मामलों की संख्या अलग-अलग उपलब्ध कराई जाए।
3. ऐसे मामलों की संख्या बताई जाए जिनमें एंबुलेंस समय पर उपलब्ध न होने अथवा विलंब से पहुँचने के कारण प्रसूता की मृत्यु हुई।
4. आपके चिकित्सालय में कार्यरत ऐसे चिकित्सकों की संख्या और सूची उपलब्ध कराई जाए जो निजी अस्पताल/क्लिनिक संचालित करते हैं या वहाँ सेवाएँ प्रदान करते हैं।
5. अस्पताल परिसर में स्थापित अग्निशमन यंत्रों, वाहनों, मशीनरी एवं उपकरणों की नवीनतम फिटनेस/सुरक्षा जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ।

उपरोक्त सूचनाएँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएँ। यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए। यदि सूचना किसी अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित हो तो धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित की जाए।

आवेदन शुल्क: ₹10 (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/नकद/ऑनलाइन)

सूचना प्राप्ति का माध्यम: डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर

स्थान: _____

दिनांक: _____

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____

HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

RTI Application under the Right to Information Act, 2005
(Regarding information on hospital facilities)

Fees ₹10

To,
Public Information Officer (PIO)
Name of Hospital _____ District _____ State _____

Subject: Application for providing information regarding obstetric cases, maternal and infant deaths, ambulance services, private practice by doctors, and fire safety and machinery fitness in the hospital.

Sir/Madam,

Under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005, I request that the information for the last one year, as available in the records/documents, be provided on the following points:

1. Please provide the number of delivery cases in which the patient was referred/transferred to another hospital due to non-availability of machinery, doctors, or essential medicines.
2. Please provide separately the total number of cases of maternal deaths and deaths of newborn infants during the last one year.
3. Please provide the number of cases in which the death of a pregnant woman occurred due to non-availability or delayed arrival of an ambulance.
4. Please provide the number and list of doctors working in your hospital who operate or are associated with private hospitals/clinics or provide their services there.
5. Please provide certified copies of the latest fitness/safety inspection reports of fire extinguishers, vehicles, machinery, and equipment installed in the hospital premises.

The above information may kindly be provided within 30 days under Section 7 of the Right to Information Act, 2005. If any information is not available, the reason for its non-availability may be clearly informed. If the information pertains to any other office/department, it may kindly be transferred under Section 6(3) of the Act.

Application fee: ₹10 (Indian Postal Order/Cash/Online)

Mode of receiving information: By post or in person

Place: _____

Date: _____

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____

HRPC Designation: _____

HRPC Cell Name: _____

Address: _____

Mobile Number: _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI आवेदन

(जेल बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में)

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

उप-जेल / जिला जेल / केंद्रीय जेल

शहर _____ जिला _____ राज्य _____

शुल्क ₹10

विषय: जेल परिसर में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं, पेयजल गुणवत्ता, चिकित्सा एवं शिक्षा संबंधी सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों/रिकॉर्ड के अनुसार विगत 01 वर्ष की सूचनाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध करता / करती हूँ—

1. जेल परिसर में बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (मासिक/त्रैमासिक आधार पर) की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिनमें रासायनिक, बैक्टीरियल एवं भौतिक मानकों के परीक्षण का विवरण हो।
2. यदि किसी भी अवधि में पेयजल की गुणवत्ता असुरक्षित/हानिकारक पाई गई हो तो उसके कारणों का विवरण, उठाए गए सुधारात्मक कदम, वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था का विवरण, संबंधित आदेशों/कार्यवाही की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ।
3. ऐसे बंदियों की सूची उपलब्ध कराई जाए जिनकी अदालत द्वारा जमानत मंजूर हो चुकी है या हो सकती है परंतु जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण वे अब भी निरुद्ध हैं।
4. सजायाफ्ता बंदियों की कुल संख्या, उनमें से ऐसे बंदियों की संख्या जो जेल परिसर के माध्यम से स्कूली/कॉलेज/उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
5. विगत एक वर्ष में बंदियों के लिए आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, एवं जागरूकता शिविरों से संबंधित रिपोर्ट एवं सूची उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त सूचनाएँ मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएँ। यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो तो उसका कारण बताया जाए। यदि सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित हो, तो धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित की जाए।

आवेदन शुल्क: ₹10 (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/नकद/ऑनलाइन)।

सूचना प्राप्ति का माध्यम: डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर।

स्थान: _____ दिनांक: _____

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____

HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

RTI Application under the Right to Information Act, 2005
(Regarding the facilities provided to prison inmates)

Fees ₹10

To,

Public Information Officer (PIO)

Sub-Jail / District Jail / Central Jail

City _____ District _____ State _____

Subject: Application for providing information regarding basic facilities made available to prisoners in the jail premises, drinking water quality, medical facilities and education.

Sir/Madam,

Under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005, I respectfully request that the following information for the last one year be provided as per the available records/documents:

1. Certified copies of the drinking water quality test reports (on monthly/quarterly basis) of the water supplied to prisoners in the jail premises, including details of chemical, bacterial and physical parameters tested.
2. If at any time the quality of drinking water has been found unsafe/harmful, kindly provide details of the reasons, corrective measures taken, details of alternative drinking water arrangements made, and copies of related orders/action taken reports.
3. A list of such prisoners whose bail has been granted by the court or is otherwise admissible, but who are still detained only due to non-availability of surety/bondsman.
4. Details of the total number of convicted prisoners, and among them, the number of prisoners who are receiving school/college/higher education through facilities available in the jail.
5. Reports and lists related to skill development training, vocational training, rehabilitation programmes and awareness camps organized for prisoners during the last one year.

The above information may kindly be provided to me within 30 days under Section 7 of the Right to Information Act, 2005. If any information is not available, the reasons for the same may please be stated. If any part of the information pertains to another department, it may kindly be transferred under Section 6(3) of the Act.

Application fee: ₹10 (Indian Postal Order/Cash/Online).

Mode of receiving information: By post or in person.

Place: _____ Date: _____

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____

HRPC Designation: _____

HRPC Cell Name: _____

Address: _____

Mobile Number: _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत RTI आवेदन
(पुलिस थाना स्तर पर सूचना हेतु)

सेवा में,

शुल्क ₹10

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

पुलिस थाना _____ जिला _____ राज्य _____

विषय: पुलिस थाना क्षेत्र से संबंधित अपराधों के पंजीकरण, जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों/रिकॉर्ड के अनुसार विगत 01 वर्ष की सूचनाएं प्रदान किए जाने का अनुरोध करता / करती हूँ—

1. **जातिगत भेदभाव** (SC/ST Act अथवा अन्य संबंधित धाराओं) के अंतर्गत दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या उपलब्ध कराई जाए एवं इन प्रकरणों में वर्तमान में कितने आरोपी फरार है।
2. **महिला हिंसा, अत्याचार, शोषण, दहेज उत्पीड़न, मानव तस्करी एवं महिला तस्करी** से संबंधित दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराई जाए एवं इन प्रकरणों में वर्तमान में कितने आरोपी फरार है।
3. **बाल हिंसा, बाल अत्याचार, बाल शोषण, बाल श्रम एवं बाल तस्करी** से संबंधित दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराई जाए एवं इन प्रकरणों में वर्तमान में कितने आरोपी फरार है।
4. आपके द्वारा **जन-जागरूकता हेतु आयोजित शिविरों/कार्यक्रमों** की सूची, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, स्थान तथा विषय का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
5. पुलिस थाना परिसर में **CCTV कैमरों की स्थापना** के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए - क्या CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं?, कुल स्थापित कैमरों की संख्या?, कार्यरत एवं खराब कैमरों की वर्तमान संख्या?, CCTV फुटेज के संरक्षण की अवधि।

उपरोक्त सूचनाएँ मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएँ। यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो तो उसका कारण बताया जाए। यदि सूचना किसी अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित हो तो धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित की जाए।

आवेदन शुल्क: ₹10 (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/नकद/ऑनलाइन)।

सूचना प्राप्ति का माध्यम: डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(आवेदक हस्ताक्षर / सील)

नाम: _____

HRPC पदनाम: _____

HRPC सेल का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

RTI Application under the Right to Information Act, 2005
(For information at the police station level)

Fees ₹10

To,
Public Information Officer (PIO)
Police Station _____ District _____ State _____

Subject: Application for providing information related to registration of crimes, public awareness programs, and deaths in police custody under the jurisdiction of the police station.

Sir/Madam,

Under Section 6(1) of the Right to Information Act, 2005, I request that the following information for the last one year, as per available records, be provided:

1. The number of cases registered under caste-based discrimination (under the SC/ST Act or other relevant sections), and how many accused persons in these cases are currently absconding.
2. The number of cases registered related to violence against women, atrocities, exploitation, dowry harassment, human trafficking, and women trafficking, and how many accused persons in these cases are currently absconding.
3. The number of cases registered related to child violence, child abuse, child exploitation, child labor, and child trafficking, and how many accused persons in these cases are currently absconding.
4. A list of awareness camps/programs organized by your office for public awareness, along with the date, place, and subject/theme of each program.
5. Information regarding installation of CCTV cameras in the police station premises—whether CCTV cameras have been installed, the total number of cameras installed, the current number of functional and non-functional cameras, and the duration for which CCTV footage is preserved.

The above information may please be provided within 30 days under Section 7 of the Right to Information Act, 2005. If any information is not available, kindly specify the reason. If the information pertains to any other office/department, kindly transfer the application under Section 6(3) of the Act.

Application Fee: ₹10 (Indian Postal Order/Cash/Online)

Mode of receiving information: By post or in person

Place: _____ **Date:** _____

(Applicant's Signature / Seal)

Name: _____

HRPC Designation: _____

HRPC Cell Name: _____

Address: _____

Mobile Number: _____